पत्रांक–15 / नीति नि०–07–13 / 2015 का० 1322

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

प्रेषक,

निधि खरे,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव,

सभी विभागाध्यक्ष, / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांकः– 11/02/2017

विषयः– **झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 74 के आलोक में सरकारी सेवकों की अनिवार्य सेवानिवृति के संबंध में।**

प्रसंगः– **कार्मिक विभागीय पत्रांक–9487 दिनांक–20.10.2015**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 74(क) में प्रावधानित है कि राज्य सरकार किसी भी सरकारी सेवक को जिसने प्रथम नियुक्ति की तारीख से कर्त्तव्य के 21 वर्ष और कुल सेवा के 25 वर्ष पूरे किये हों, सेवानिवृत्त करा सकती है, यदि वह समझे कि उसकी कार्यदक्षता या आचार ऐसा नहीं है, जिससे उसे सेवा में बनाये रखना न्याय हो। इसी नियम के उपनियम 'ख' (ii) में यह व्यवस्था की गयी है कि संबद्ध नियुक्ति प्राधिकार किसी सरकारी सेवक को कम–से–कम तीन माह की पूर्व लिखित सूचना अथवा ऐसी सूचना के बदले में तीन माह के वेतन तथा भत्ते के समतुल्य राशि देकर 30 वर्ष की अर्हक सेवा अथवा 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर अथवा इसके बाद सूचना में निर्दिष्ट किसी तिथि को लोकहित में उस सरकारी सेवक को सेवा से निवृत्त होने की अपेक्षा कर सकेगा। इस नियम के उपनियम 'ख' (iii) में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एवं लोकहित में सेवानिवृत्ति संबंधी मामलों में सेवान्त लाभों के अनुमान्यता का प्रावधान किया गया है।

इस संदर्भ में प्रसंगाधीन पत्र की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए पुनः अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ वैसे पदाधिकारी / कर्मचारी, जिनका आचरण एवं कार्य उत्पादकता असंतोषजनक हो, के संबंध में उपर्युक्त नियम के आलोक में नियमानुकूल कार्रवाई करने की कृपा की जाय। साथ ही वैसे पदाधिकारी / कर्मचारी, जो प्रायः चिकित्सीय आधार पर अवकाश में रहते हैं या अस्वस्थता के कारण समुनिदेशित कार्यों का निष्पादन अपेक्षित मापदण्ड के अनुरूप नहीं कर पाते हैं, के कार्य–कलापों की समीक्षा करते हुए चिकित्सीय पर्षद से उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाय एवं उक्त के फलाफल के आधार पर संबंधित कर्मियों के अनिवार्य सेवानिवृत्ति के बिन्दु पर नियमानुकूल कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा की जाय। साथ ही कृत कार्रवाई से इस विभाग को भी अवगत कराया जाय।

विश्वासभाजन

11/2/17

(निधि खरे)
सरकार के प्रधान सचिव।